

**न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।**  
**बी० सी० सी० ए० वाद संख्या- 34/2020**  
**राज्य बनाम संजय सिंह**  
**आदेश**

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक-3314/सी०आर०, दिनांक-18.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि संजय सिंह, पिता- त्रिवेणी सिंह, साकिन- पंचगछिया, थाना- बिहरा, जिला-सहरसा एक सक्रिय व कुख्यात अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया गया है। इनका साठ गांठ कई सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ है। इनके द्वारा किये गये अपराध से आमजनों में भययुक्त माहौल बना रहता है और इनके आतंक से लोग काफी भयभीत रहते हैं। वर्तमान में ये माननीय न्यायालय से जमानत पर मुक्त हैं। आगामी बिहार विधान सभा चुनाव- 2020 में ये विभिन्न दलों के साथ मिलकर अपनी दबंगता एवं अपराधिक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे विधानसभा चुनाव 2020 को स्वच्छतम सम्पन्न कराने में व्यवधान पड़ने की संभावना बतायी गयी है। उक्त अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उक्त अपराधी भा०द०वि० के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम-1981 के धारा-2 (डी.) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका अपराधिक इतिहास निम्नवत है।

- i. बिहरा थाना कांड संख्या- 93/05 दिनांक- 26.08.05 धारा- 394 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 18/06 दिनांक- 18.02.2019 समर्पित।
- ii. बिहरा थाना कांड संख्या- 08/08 दिनांक- 19.01.08 धारा- 302,34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोप पत्र संख्या- 173/08 दिनांक- 30.12.08 समर्पित।
- iii. बिहरा थाना कांड संख्या- 187/08 दिनांक- 31.12.08 धारा- 392 भा०द०वि० में आरोप पत्र संख्या- 61/10 दिनांक- 30.06.2010
- iv. बिहरा थाना कांड संख्या- 93/13, दिनांक- 13.05.13 धारा- 147,148,149, 232,332,333,337,338,427,353,307 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित।
- v. बिहरा थाना कांड संख्या-153/19 दिनांक 25.08.09, धारा-147,148,149,341,323, 307,353,332,431,504 भा०द०वि० में आरोपित।

पुलिस को सूचना मिली कि संजय सिंह असामाजिक तत्वों को एकत्र कर विधानसभा चुनाव 2020 में अपने समर्थित अभ्यर्थी के पक्ष में लोगों को मतदान करने के लिए डरा धमका रहे हैं जिससे आम मतदाता काफी भयभीत हैं। यह भी सूचना प्राप्त हुई कि इनके द्वारा आगामी चुनाव में व्यवधान उत्पन्न किये जाने की योजना बनाया जा रहा है, जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यवधान उत्पन्न होने की पूर्ण संभावना बनी हुई है। उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से पत्रांक-474/न्याया०/सपत्र, दिनांक-24.09.2020 द्वारा नोटिश जारी कर प्रतिवादी



को अपना कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक- 03.10.2020 को 11.00 बजे पूर्वाह्न निर्धारित की गई। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के पत्रांक-3716/अप०शा०, दिनांक-02.10.2020 से प्रतिवादी के नोटिश का तामिला प्रतिवेदन न्यायालय में उपलब्ध कराया गया, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। प्रतिवादी नोटिश का तामिला प्राप्त कर भी निर्धारित तिथि को उपस्थित नहीं हुए।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। उन्होंने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर संजय सिंह, पिता- त्रिवेणी सिंह, साकिन- पंचगछिया, थाना- बिहरा, जिला-सहरसा को बिहार विधानसभा चुनाव, 2020 की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरी होने अर्थात दिनांक- 10.11.2020 तक के लिए सहरसा जिला के थाना- बिहरा से थाना- महिषी के लिए थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे दिनांक- 06.10.2020 से सहरसा जिला के महिषी थाना में सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे। यदि वे दिनांक- 07.11.2020 को अपना मत का प्रयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें लिखित रूप से सूचना संबंधित थाना में व मतदान केन्द्र पर पहुँचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय अंकित कर पूर्ण व्यौरा समर्पित करना होगा तत्पश्चात ही मतदान करने हेतु प्रस्थान करेंगे।

थानाध्यक्ष, महिषी को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में बिहरा थाना से तड़ीपार किये गए संजय सिंह, पिता- त्रिवेणी सिंह, साकिन- पंचगछिया, थाना- बिहरा, जिला-सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा/ थानाध्यक्ष बिहरा /थानाध्यक्ष महिषी को भेजें।

संजय सिंह को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष बिहरा को भेजें।




	<p>आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।</p> <p>आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।</p> <p>लेखापित एवं शुद्धिकृत</p> <p><i>Kalt</i> J. H. Chowdhary जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।</p> <p><i>Kalt</i> J. H. Chowdhary जिला दण्डाधिकारी, सहरसा</p>
--	--

ज्ञापांक.....**576**...../न्याया10, सहरसा, दिनांक-**05.10.20**

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष बिहरा/थानाध्यक्ष महिषी/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा एवं जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- संजय सिंह, पिता- त्रिवेणी सिंह, साकिन- पंचगछिया, थाना- बिहरा, जिला-सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



*Kalt*  
J. H. Chowdhary  
जिला दण्डाधिकारी,  
सहरसा।